



# सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए केंद्रीय क्षेत्र की प्रमुख योजनाएं

भारत सरकार  
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय  
विकास आयुक्त का कार्यालय  
विज्ञापन एवं प्रचार प्रभाग  
निर्माण भवन, नई दिल्ली

© विकास आयुक्त (एमएसएमई), भारत सरकार,  
निर्माण भवन, नयी दिल्ली 110108

प्रथम संस्करण : 2019

### अस्वीकरण

यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं कि प्रकाशित जानकारी सही और विश्वसनीय हो, फिर भी किसी भी त्रुटि या चूक के लिए प्रकाशक या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है।

निःशुल्क वितरण हेतु

# विषय सूची

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण और वित्तीय सहायता

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम(पीएमईजीपी)

1

प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी (सीएलसीएसएस)

3

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई)

3

2% ब्याज छूट योजना

4

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए कौशल विकास और प्रशिक्षण

5

उद्यमशीलता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी)

5

एमएसएमई को अवसरचक्रात्मक सहयोग

6

पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि की योजना (स्फूर्ति)

8

सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी)

एमएसएमई के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और प्रतिस्पर्धात्मकता योजना

10

डिजाइन क्लिनिक योजना

12

लीन विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता योजना (एलएमसीएस)

13

डिजिटल एमएसएमई योजना

14

एमएसएमई को जेड (जेडईडी) प्रमाणन योजना में वित्तीय सहायता

15

इंक््यूबेटर के माध्यम से एमएसएमई के उद्यमिता और प्रबंधकीय विकास के लिए सहायता

बौद्धिक सम्पदा अधिकार पर जागरूकता निर्माण (आईपीआर) 17

टूल रूम और एमएसएमई प्रौद्योगिकी केन्द्र 18

एमएसएमई के लिए खरीद एवं विपणन सहायता

खरीद एवं विपणन सहायता योजना (पीएमएस) 19

सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) से खरीद 20

अन्य पहल

एमएसएमई समाधान पोर्टल 21

उद्योग आधार ज्ञापन (यूएमएम) 21

सम्पर्क सूत्र

एमएसएमई-विकास संस्थान 24

शाखा एमएसएमई-विकास संस्थान 28

बालसहयोग 30

एमएसएमई – प्रौद्योगिकी केंद्र 30

एमएसएमई-विकास संस्थान और शाखा विकास संस्थान के उद्यम सुविधा केंद्र (ई.एफ.सी.) 32

प्रौद्योगिकी केंद्रों के ई.एफ.सी. 37

पीपीडीसी, आगरा के ई.एफ.सी. 39

## सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण और वित्तीय सहायता

### प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

**विवरण:** इस योजना का उद्देश्य देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्व-रोजगार के नए उपक्रमों/परियोजनाओं/सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसरों का सृजन करना है। इसका दूसरा उद्देश्य देश में पारंपरिक और संभावित कारीगरों के सभी वर्गों तथा ग्रामीण/शहरी बेरोजगार युवाओं को सतत रोजगार मुहैया कराना है ताकि ग्रामीण युवाओं का शहरी क्षेत्रों में होने वाले पलायन को कम करने में सहायता मिल सके। इसका तीसरा उद्देश्य कारीगरों की आय अर्जन क्षमता में वृद्धि करना तथा ग्रामीण और शहरी रोजगार की विकास दर में वृद्धि करने में सहयोग प्रदान करना है।

इस योजना का कार्यान्वयन खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा किया जाता है, जो राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी है। राज्य स्तर पर इस योजना का कार्यान्वयन राज्य केवीआईसी निदेशालयों, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईबी) तथा जिला उद्योग केंद्रों (डीआईसी) तथा बैंकों के माध्यम से किया जाता है।

पीएमईजीपी के अंतर्गत संस्वीकृति हेतु केवल नई परियोजनाओं पर विचार किया जाता है।

**सहायता का स्वरूप:** पात्र परियोजना/इकाई की अधिकतम लागत : 25 लाख रुपए (विनिर्माण क्षेत्र के मामले में) तथा 10 लाख रुपए (व्यवसाय/सेवा क्षेत्र के मामले में)।

पीएमईजीपी के अंतर्गत सब्सिडी (परियोजना लागत की): सामान्य श्रेणी 15 प्रतिशत (शहरी), 25 प्रतिशत (ग्रामीण), विशेष श्रेणी (अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी तथा सीमावर्ती क्षेत्रों आदि सहित): 25 प्रतिशत (शहरी), 35 प्रतिशत (ग्रामीण)।

**आवेदन कौन कर सकता है:** ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक की आयु का हो तथा जिसने कम-से-कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली हो। स्व-सहायता समूह (इसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग शामिल हैं बशर्ते उन्होंने किसी अन्य योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं किया हो), सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत संस्थान, उत्पादन से जुड़ी सहकारी सोसाइटी, धर्मार्थ न्यास भी पात्र हैं।

**आवेदन कैसे करें:** केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकृत किया जाता है। लाभार्थी अपने आवेदन ऑनलाइन

<https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/pmegphome/index.jsp> पर भेज सकते हैं।

**संपर्क करें:** खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), "ग्रामोदय" 3, इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम) मुंबई- 400056 (महाराष्ट्र),  
हेल्पलाइन - [www.kvic.org.in](http://www.kvic.org.in), Email: [kvichg@bom3](mailto:kvichg@bom3), [vsnl.net.in](http://vsnl.net.in)

फैक्स- 022-26711003, दूरभाष- 022-26714320, 25 / 26716323.

## प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी (सीएलसीएसएस)

**विवरण:** सीएलसीएस का उद्देश्य उक्त योजना के अंतर्गत अनुमोदित विशिष्ट उप-क्षेत्र/उत्पादों में सुस्थापित और उपयोगी प्रौद्योगिकियों को अंतर्विष्ट करने के लिए संस्थागत वित्त के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमों तक प्रौद्योगिकी की पहुंच को सुविधाजनक बनाना है।

**सहायता का स्वरूप:** अभिज्ञात क्षेत्रों/उप-क्षेत्रों/प्रौद्योगिकियों के लिए 1 करोड़ रुपए तक के संस्थागत ऋण पर 15 प्रतिशत की सीधी सब्सिडी (अर्थात 15 लाख रुपए की सब्सिडी सीमा)।

**आवेदन कौन कर सकता है:** कोई भी सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) इकाई।

**आवेदन कैसे करें:** पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले प्रतिभागी 11 नोडल बैंकों/एजेंसियों से संपर्क कर सकते हैं। ये बैंक हैं: सिडबी, नाबार्ड, एसबीआई, बीओबी, पीएनबी, बीओआई, टीआईआईसी, आंध्र बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक।

**संपर्क करें:** विकास आयुक्त-एमएसएमई के अंतर्गत एमएसएमई-विकास संस्थान या नोडल बैंक/एजेंसी।

## सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई)

**विवरण:** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों

(एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी योजना का कार्यान्वयन करने के उद्देश्य से सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए संयुक्त रूप से क्रेडिट गारंटी निधि (सीजीटीएमएसई) नामक न्यास की स्थापना की है। सीजीटीएमएसई के कोष में भारत सरकार और सिडबी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

**सहायता का स्वरूप:** 200 लाख रुपए की सीमा तक का कोलेटरल मुक्त ऋण उपलब्ध है।

**आवेदन कौन कर सकता है:** इस योजना के अंतर्गत नए तथा मौजूदा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम पात्र हैं।

**आवेदन कैसे करें:** पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले लघु एवं मध्यम उद्यम बैंकों/वित्तीय संस्थानों से संपर्क कर सकते हैं तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/एनबीएफसी का चयन कर सकते हैं।

**संपर्क करें :** सीईओ, सीजीटी एमएसई, सिडबी, स्वावलम्बन भवन, सी-11, जी-ब्लॉक, बीकेसी, बान्द्रा (ईस्ट), मुम्बई-400051

## 2% ब्याज छूट योजना

**विवरण:** इस योजना का उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि करने तथा जीएसटी प्लेटफार्म पर एमएसएमई को लाने के लिए छूट प्रदान करने जो कि ऋण की लागत में कमी करके अर्थव्यवस्था के औपचारिकरण में सहयोग करेगा, के लिए विनिर्माण तथा सेवा उद्यमों दोनों को प्रोत्साहित करना है। यह योजना दो वित्त वर्षों अर्थात् वित्त वर्ष 2018-2019 तथा वित्त वर्ष 2019-2020 की अवधि के लिए कार्यशील रहेगी।



**सहायता का स्वरूप:** ब्याज में दी गई छूट का परिकलन संवितरण/आहरण की तारीख से समय-समय पर अथवा इस योजना की अधिसूचना जारी होने की तारीख से जो भी बाद में हो, बकाया राशि पर प्रति वर्ष दो प्रतिशत वार्षिक (2 प्रतिशत प्रति वर्ष) की दर से, राशि में की गई वृद्धि अथवा हाल ही में संस्वीकृत कार्यशील पूंजी या पात्र संस्थानों द्वारा संवितरित नए आवधि ऋण से किया जाएगा।

**आवेदन कौन कर सकता है:** सभी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम जिनके पास वैध उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम) तथा वैध जीएसटीएन नम्बर है, वे इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी के रूप में पात्र हैं।

**कैसे आवेदन करें:** इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम पात्र ऋण प्रदान करने वाले संस्थानों के समक्ष आवेदन कर सकते हैं।

**संपर्क करें:** सीईओ, सिडबी तथा विकास आयुक्त-एमएसएमई के अंतर्गत विकास संस्थान।

## **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए कौशल विकास और प्रशिक्षण**

### **उद्यमशीलता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी)**

**विवरण:** इस कार्यक्रम का उद्देश्य है— स्व-रोजगार अथवा उद्यमशीलता पर कैरियर विकल्पों में से एक विकल्प के रूप में विचार करने हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/

महिलाओं/दिव्यांगों/भूतपूर्व सैनिकों तथा गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वाले लोगों सहित समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले युवाओं (पुरुषों और महिलाओं) को प्रोत्साहित करना है। इसका मुख्य उद्देश्य नए उद्यमों को प्रोत्साहित करना, मौजूदा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की क्षमता का निर्माण करना तथा देश में उद्यमिता संस्कृति को आत्मसात कराना है।

**सहायता का स्वरूप:** औद्योगिक प्रोत्साहन अभियान (आईएमसी), उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम और उद्यमिता-सह-कौशल विकास कार्यक्रम, प्रबंधन विकास कार्यक्रम और बड़े इवेंट के लिए सहायता प्रदान करना।

**अभीष्ट लाभार्थी:** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाओं, दिव्यांगों, भूतपूर्व सैनिकों और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों सहित समाज के विभिन्न वर्गों के युवा और विद्यमान एमएसएमई।


**आवेदन कैसे करें:** ईएसडीपी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन एमएसएमई-विकास संस्थानों/प्रौद्योगिकी केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है।

**संपर्क करें:** विकास आयुक्त-एमएसएमई के अधीन एमएसएमई-विकास संस्थान और एमएसएमई प्रौद्योगिकी केन्द्र।

## एमएसएमई को अवसरनात्मक सहयोग

### पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि की योजना (स्फूर्ति)

**विवरण:** इस योजना का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक उद्योगों और



कारीगरों को क्लस्टरों में संगठित करना है ताकि उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जा सके और लंबे समय तक बने रहने के लिए सहयोग प्रदान किया जा सके।

**सहायता का स्वरूप:** इस योजना में तीन प्रकार के इंटरवेंशन सम्मिलित होंगे: 'सॉफ्ट इंटरवेंशन', 'हार्ड इंटरवेंशन' और 'थीमैटिक इंटरवेंशन'। विभिन्न क्लस्टरों के लिए परियोजना परिव्यय: नियमित क्लस्टर (500 कारीगरों तक)— 2.50 करोड़ रुपए प्रति क्लस्टर; बड़े क्लस्टर (500 से अधिक कारीगर)— 5.00 करोड़ रुपए प्रति क्लस्टर; सॉफ्ट इंटरवेंशन: 25 लाख रुपए (योजना का 100 प्रतिशत निधिकरण) की अधिकतम सीमा के साथ हार्ड इंटरवेंशन का 10 प्रतिशत; हार्ड इंटरवेंशन: परियोजना की आवश्यकता के अनुसार। किसी भी परियोजना विशेष के लिए प्रदत्त वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा 5 करोड़ रुपए तक होगी।

**आवेदन कौन कर सकता है:** (i) गैर सरकारी संगठन (एनजीओ), केन्द्र और राज्य सरकारों के संस्थान और अर्ध सरकारी संस्थान, राज्य और केन्द्र सरकार के क्षेत्रीय पदाधिकारी, पंचायती राज संस्थान (पीआरआई), जिनके पास क्लस्टर विकास को आरंभ करने के लिए उपयुक्त विशेषज्ञता हो। (ii) क्लस्टर परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निजी क्षेत्र की प्रतिभागिता को भी प्रोत्साहित किया जाता है। निगमित संस्थायें भी विशिष्ट क्लस्टर एसपीवी बनाकर सीधे इन परियोजनाओं में भाग ले सकती हैं। (iii) क्लस्टर विकास में विशेषज्ञता प्राप्त निगमित और निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व वाले (सीएसआर) फाउंडेशन को कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में प्रतिभागिता लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसे मामलों में जहां कोई निजी क्षेत्र की संस्था कार्यान्वयन एजेंसी है

तो वह परियोजना लागत का कम से कम 50% का अंशदान देगी जिसमें जमीन की लागत शामिल नहीं होगी ।

**आवेदन कैसे करें:** पात्र एजेंसियों/संगठनों को राज्य कार्यालय, केवीआईसी अथवा इस योजना के अंतर्गत अन्य निर्धारित नोडल एजेंसियों में प्रस्ताव जमा करना होता है और प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए योजना संचालन समिति के पास इसे भेजना होता है ।

**संपर्क करें:** निदेशक/उप सचिव (एआरआई), एमएसएमई मंत्रालय ।

## **सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी)**

**विवरण:** इस योजना के अंतर्गत परीक्षण के लिए सामान्य सुविधा केन्द्रों, प्रशिक्षण केन्द्रों, अनुसंधान और विकास, उत्सर्जन शोधन, कच्चे माल के डिपो, पूरक उत्पादन प्रक्रियाओं की स्थापना और नए/मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों/एमएसई क्लस्टरों में फ्लैटेड फैक्टरी कॉम्प्लैक्स, विद्युत वितरण नेटवर्क, जल, दूरसंचार, जलनिकास और प्रदूषण नियंत्रण सुविधाओं, सड़कों, बैंकों, कच्चे माल, भंडारण और विपणन केन्द्रों, सामान्य सेवा सुविधाओं और नए/मौजूदा औद्योगिक संपदाओं/क्षेत्रों में एमएसई के लिए प्रौद्योगिकीय बैकअप सेवाओं जैसी अवसरचरणात्मक सुविधाओं को निर्मित/उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता में सहयोग किया जाता है । संघ के विपणन हब/प्रदर्शनी केन्द्र, राज्य नवोन्मेष क्लस्टर विकास कार्यक्रम के लिए थीमेटिक इंटरवेंशन एवं सहयोग भी इस योजना का हिस्सा है ।

**सहायता का स्वरूप:** (i) सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी) : भारत सरकार के अनुदान की सीमा परियोजना की अधिकतम 20 करोड़ रुपए की लागत का 70 प्रतिशत होगी। पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों, द्वीप क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों/एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों, 50 प्रतिशत से अधिक (क) सूक्ष्म/ग्राम, (ख) महिलाओं के स्वामित्व वाली इकाइयों, (ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति इकाइयों वाले क्लस्टरों में सीएफसी के लिए भारत सरकार के अनुदान की सीमा 90 प्रतिशत होगी। परियोजना की लागत में भूमि की लागत (परियोजना लागत का अधिकतम 25 प्रतिशत तक) सम्मिलित होती है। (ii) अवसंरचनात्मक विकास: भारत सरकार के अनुदान की सीमा परियोजना की लागत का 60 प्रतिशत होगी (औद्योगिक संपदा के लिए 10 करोड़ रुपए और फ्लैटेड फैक्ट्री परिसर के लिए 15 करोड़ रुपए)। पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों, द्वीप क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों/एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों, औद्योगिक क्षेत्रों की परियोजनाओं, महिलाओं के स्वामित्व वाली इकाइयों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाली इकाइयों के लिए भारत सरकार का अनुदान 80 प्रतिशत होगा। (iii) संघों द्वारा आयोजित मार्केटिंग हब/प्रदर्शनी केन्द्र। (iv) थीमैटिक इंटरवेंशन: भारत सरकार का अनुदान अधिकतम 5 क्रियाकलापों की कुल लागत का 50 प्रतिशत होगा जो प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होगा। इस घटक के अंतर्गत प्रत्येक सीएफसी के लिए भारत सरकार का अनुदान 10 लाख रुपए होगा। (v) राज्य नवोन्मेष क्लस्टर विकास कार्यक्रम में सहयोग: भारत सरकार का अनुदान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि अथवा 5 करोड़ रुपए, जो भी कम हो, होगा और पूर्वोत्तर/पर्वतीय राज्यों,

द्वीप क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों/एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों में सीएफसी परियोजनाओं और ऐसी परियोजनाओं के संबंध में जहां लाभार्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यम हों, परियोजना लागत के 90 प्रतिशत तक की सहायता दी जाएगी।

**आवेदन कौन कर सकता है:** क्लस्टर, औद्योगिक संघ/सहायता संघ।

**आवेदन कैसे करें:** <https://cluster-dcmsme.gov.in> पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। हार्ड कॉपी राज्य सरकारों अथवा उनके स्वायत्तशासी निकायों अथवा एमएसएमई मंत्रालय के क्षेत्रीय संस्थानों अर्थात् एमएसएमई-विकास संस्थानों के माध्यम से भेजा जाना अपेक्षित है। प्रस्तावों का अनुमोदन एमएसई-सीडीपी की संचालन समिति द्वारा किया जाता है।

**संपर्क करें:** विकास आयुक्त- एमएसएमई के अंतर्गत एमएसएमई-विकास संस्थान।

## **एमएसएमई के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और प्रतिस्पर्धात्मकता योजना**

### **डिजाइन क्लिनिक योजना**

**विवरण:** डिजाइन क्लिनिक योजना का उद्देश्य औद्योगिक सूझ-बूझ और डिजाइन और नवोन्मेष के अनुप्रयोगों को बढ़ाना और डिजाइन को एक मूल्यवर्धक कार्यकलाप के रूप में बढ़ावा देना और इसे

व्यवसाय की मुख्य धारा और एमएसएमई की औद्योगिक प्रक्रिया में लाना; औद्योगिक डिजाइन बिरादरी को एमएसएमई क्षेत्र के निकट लाना; डिजाइन के महत्व के विषय में जागरूकता लाना और डिजाइन लर्निंग को एमएसएमई में स्थापित करना तथा स्थानीय उत्पादों और सेवाओं की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। इस योजना के अंतर्गत आने वाले कार्यकलापों में (i) डिजाइन जागरूकता गोष्ठियां/कार्यशालाएं, (ii) व्यावसायिक डिजाइन परियोजनाएं, (iii) विद्यार्थी डिजाइन परियोजनाएं, (iv) उन्मुखीकरण कार्यक्रम सम्मिलित हैं।

**सहायता का स्वरूप:** व्यक्ति अथवा अधिकतम 3 सूक्ष्म इकाइयों के लिए 15.00 लाख रुपए (भारत सरकार: इकाइयां:: 75:25) और 3 से अधिक, सूक्ष्म इकाइयों के लिए 25.00 लाख रुपए (भारत सरकार:इकाइयां::75:25) की वित्तीय सहायता का प्रावधान है। लघु और मध्यम इकाइयों के लिए यह व्यक्ति अथवा अधिकतम 3 इकाइयों के लिए 25.00 लाख रुपए (भारत सरकार: इकाइयां::60:40) और 3 से अधिक इकाइयों के लिए 40.00 लाख रुपए (भारत सरकार:इकाइयां::60:40) है।

**आवेदन कौन कर सकता है:** सभी उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम) पंजीकृत विनिर्माण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की पिछले तीन वर्ष में लाभ देने वाली इकाइयां योजना से लाभ उठाने के लिए पात्र हैं।

**आवेदन कैसे करें:** एमएसएमई अपना आवेदन एनआईडी, अहमदाबाद, आईआईएससी, बेंगलोर को कर सकते हैं जिन्हें कार्यान्वयन एजेंसी नामित किया गया है।

**सम्पर्क करें:** राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी), अहमदाबाद / आईआईएससी, बैंगलोर और डीसी (एमएसएमई) के क्षेत्रीय कार्यालय। प्रधान निदेशक, एमएसएमई-टीडीसी (पीपीडीसी), फाउंड्री नगर, आगरा -282006, (ई-मेल: info@ppdcagra.com)।

## लीन विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता योजना (एलएमसीएस)

**विवरण:** लीन विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता योजना विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए एक व्यवसायिक पहल है, जिसमें अच्छी प्रबंधन प्रणाली के निरंतर सुधार को आत्मसात करते हुए समग्र उत्पादकता में वृद्धि लाना है। इस योजना में अपशिष्ट को कम कर, उत्पादकता को बढ़ाने, निरंतर सुधारों की संस्कृति का विकास कर विभिन्न लीन तकनीकों के प्रयोग के माध्यम से एमएसएमई में विनिर्माण प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने पर बल दिया गया है।

**सहायता का स्वरूप:** 10 इकाइयों के एक लघु क्लस्टर के लिए 18 माह की अवधि अथवा उसके पूरा होने तक एमएसएमई को 36 लाख रुपए (अधिकतम), की वित्तीय सहायता का प्रावधान (भारत सरकार : यूनिट :: 80:20)।

**आवेदन कौन कर सकता है:** एलएमसीएस का लाभ उठाने के लिए वे सभी पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) जिनके पास उद्योग आधार ज्ञापन है और जो विनिर्माण गतिविधियों में लगी हैं, पात्र हैं।

**आवेदन कैसे करें:** विकास आयुक्त (एमएसएमई), एमएसएमई मंत्रालय अपने एमएसएमई-वि.सं./टीसी/केंद्र सरकार/राज्य सरकार



और अन्य संस्थान जो इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए प्रासंगिक हैं, के माध्यम से इस योजना को कार्यान्वित कर रहा है।

**सम्पर्क करें:** प्रधान निदेशक, एमएसएमई-टीडीसी (पीपीडीसी), फारुण्डी नगर, आगरा-282006, (ई-मेल: info@ppdcagra.com) और वि.आ.-एमएसएमई के तहत विकास संस्थान।

## डिजिटल एमएसएमई योजना

**विवरण:** इस योजना का मुख्य उद्देश्य एमएसएमई को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना और उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धा में सुधार करने के लिए अपने उत्पादन और व्यवसाय प्रक्रियाओं में आईसीटी टूल्स और एप्लिकेशन को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। योजना के अंतर्गत शामिल गतिविधियां हैं (i) ई-प्लेटफार्म का विकास (भारतीय उद्यम पोर्टल), (ii) एमएसएमई के लिए सॉफ्टवेयर/ऐप्स का विकास और पोर्टल पर अपलोड करना इत्यादि, (iii) उद्यम सुविधा केंद्र (ईएफसी) के माध्यम से डिजिटल सशक्तिकरण, और (iv) विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों (आईए) को आईटी अवसंरचना के लिए सहायता।

**सहायता का स्वरूप:** (i) एमएसएमई के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आधारित विभिन्न सेवाओं संबंधी जानकारी के प्रसार के लिए डवलपमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइज पोर्टल, (ii) उद्यम विकास केन्द्र और कार्यान्वयन एजेंसी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी बुनियादी सुविधाएं।

**आवेदन कैसे करें:** इस योजना का लाभ उठाने के लिए एमएसएमई राष्ट्रीय निगरानी और कार्यान्वयन इकाई (एनएमआईयू)/

कार्यान्वयन अभिकरण (आईए) से संपर्क करें ।

**संपर्क करें:** प्रधान निदेशक, एमएसएमई-टीडीसी (पीपीडीसी), फारुण्डी नगर, आगरा-282006, (ई-मेल: info@ppdcagra.com) और वि.आ.-एमएसएमई के तहत विकास संस्थान ।

## **एमएसएमई को जेड (जेडईडी) प्रमाणन योजना में वित्तीय सहायता**

**विवरण:** इस योजना का उद्देश्य विनिर्माण प्रक्रियाओं में जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट प्रणालियों को शामिल करना, मेक इन इंडिया पहल का समर्थन करने के लिए निरंतर सुधार सुनिश्चित करना शामिल है। यह योजना एमएसएमई के बीच जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट (जेड) विनिर्माण को बढ़ावा देने की परिकल्पना करती है जिससे गुणवत्ता उपकरणों/प्रणालियों और ऊर्जा दक्ष विनिर्माण के अनुकूलन को बढ़ावा देना, एमएसएमई को उत्पादों और प्रक्रियाओं में अपने गुणवत्ता मानकों में लगातार सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करना, पर्यावरण को प्रभावित किए बिना विनिर्माण में जीरो डिफेक्ट उत्पादन प्रक्रियाओं को अपनाकर उन्हें बढ़ाना है।

**सहायता का स्वरूप:** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी क्रमशः 80 प्रतिशत, 60 प्रतिशत और 50 प्रतिशत होगी।

**आवेदन कौन कर सकता है:** समय-समय पर यथासंशोधित एमएसएमई अधिनियम, 2006 के तहत पंजीकृत सभी एमएसएमई और साथ ही साथ एमएसएमई अधिनियम के अनुरूप विकास

आयुक्त (एमएसएमई) द्वारा समय-समय पर जारी कार्यकारी आदेशों में शामिल एमएसएमई।

**आवेदन कैसे करें:** जेड प्रमाणन योजना एक 4 चरणीय प्रक्रिया है: चरण-1: वैद्य मोबाइल नम्बर और ई-मेल का उपयोग कर निम्नलिखित लिंक: [https://assessment.zed.org.in/Assessment/Assessment\\_BeforeLogin.aspx](https://assessment.zed.org.in/Assessment/Assessment_BeforeLogin.aspx) का प्रयोग कर जेड के ऑनलाईन पोर्टल ([www.zed.org.in](http://www.zed.org.in)) पर निःशुल्क पंजीकरण। चरण 2: जेड मापदंडों पर ऑनलाईन स्व-मूल्यांकन के बाद डेस्कटॉप मूल्यांकन। चरण 3: यदि डेस्क टॉप मूल्यांकन के आधार पर चयन होता है, तो कार्यस्थल मूल्यांकन। चरण 4: परामर्श : डेस्कटॉप मूल्यांकन के बाद, एमएसएमई के पास गैप-विश्लेषण और हैंड होल्डिंग के लिए अधिकृत जेड सलाहकार की सेवा का लाभ उठाने का विकल्प होगा।

**संपर्क करें:** प्रधान निदेशक, एमएसएमई-टीडीसी (पीपीडीसी), फाऊण्ड्री नगर, आगरा-282006, (ई-मेल: [info@ppdcagra.com](mailto:info@ppdcagra.com)) और विकास आयुक्त-एमएसएमई के तहत प्रौद्योगिकी विकास केंद्र।

## **इंटरनेट के माध्यम से एमएसएमई के उद्यमिता और प्रबंधकीय विकास के लिए सहायता**

**विवरण:** योजना का उद्देश्य व्यक्ति की अनुपयुक्त रचनात्मकता को बढ़ावा देना और उसका समर्थन करना तथा ऐसे एमएसएमई (उद्यमों) को जो अवधारणा स्तर पर अपने विचारों की वैद्यता चाहते हैं, विनिर्माण और साथ ही साथ ज्ञान आधारित नवोन्मेषी कार्यकलापों में नवीनतम प्रौद्योगिकी को अपनाने को बढ़ावा देना है।

**सहायता का स्वरूप:** किसी आइडिया (विचार) के विकास/पोषण के लिए 15 लाख तक की वित्तीय सहायता। बिजनेस इंक्यूबेटर में प्लांट और मशीनों की खरीद और स्थापना के लिए 1 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता। उद्यम स्थापित करने के लिए उपर्युक्त इंक्यूबेटर को उदार ऋण के रूप में प्रारंभिक पूंजी की 1 करोड़ रुपए की सहायता, ब्याज मुक्त ऋण, साम्य भागेदारी, अनुदान अथवा ये सभी, आदि ।

**आवेदन कौन कर सकता है:** तकनीकी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों/कॉलेजों/संस्थानों, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, ऐसी गतिविधियों में लगे गैर सरकारी संगठनों, विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय के ईडीसी, एमएसएमई-डीआई/टीसी/डीआईसी अथवा अन्य केन्द्र/राज्य संस्थान/संगठन मेजबान संस्थान के रूप में पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकते हैं । विद्यार्थी/एमएसएमई अपने विचारों को विकसित और पोषित करने हेतु पंजीकृत मेजबान संस्थाओं को आवेदन कर सकते हैं ।

**आवेदन कैसे करें:** इस योजना का लाभ उठाने के लिए विद्यार्थी/उद्यमी एमएसएमई एमआईएस पोर्टल पर कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से राष्ट्रीय मॉनिटरिंग और कार्यान्वयन यूनिट को आवेदन कर सकते हैं ।

**सम्पर्क करें:** प्रधान निदेशक, एमएसएमई-टीडीसी (पीपीडीसी), फाउंड्री नगर, आगरा -282006, (ई-मेल: [info@ppdcagra.com](mailto:info@ppdcagra.com)) ।

## बौद्धिक सम्पदा अधिकार पर जागरूकता निर्माण (आईपीआर)

**विवरण:** एमएसएमई के लिए बौद्धिक सम्पदा अधिकार पर जागरूकता निर्माण करने का उद्देश्य एमएसएमई में बौद्धिक सम्पदा अधिकारों (आईपीआर) के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके विचारों और व्यावसायिक रणनीतियों की सुरक्षा के लिए उपाय करना है। इन उद्देश्यों की पूर्ति पूरे देश में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम जैसे जागरूकता कार्यक्रमों, सेमिनार, वर्कशॉप, आईपी के पंजीकरण के लिए प्रतिपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आईपी सुविधा केन्द्र की स्थापना से की जाती है।

**सहायता का स्वरूप:** पेटेंट/जीआई पंजीकरण/ट्रेडमार्क, आईपी सुविधा केन्द्र की स्थापना के लिए, सेमिनार/वर्कशॉप/प्रदर्शनी और जागरूकता कार्यक्रम के लिए प्रतिपूर्ति।

**आवेदन कौन कर सकता है:** एमएसएमई इकाइयों जिनके पास वैद्य उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम) हो। इन पहलों को योजना दिशा-निर्देशों में निर्धारित विभिन्न पात्र कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

**आवेदन कैसे करें:** ऑनलाइन आवेदन [www.my.msme.gov.in](http://www.my.msme.gov.in) वेबसाइट पर भरे जा सकते हैं।

**संपर्क करें:** प्रमुख निदेशक, एमएसएमई-टीडीसी (पीपीडीसी), फाउंड्री नगर, आगरा -282006, (ई-मेल: [info@ppdcagra.com](mailto:info@ppdcagra.com)) और विकास आयुक्त-एमएसएमई के तहत आने वाले विकास संस्थान।

## टूल रूम और एमएसएमई प्रौद्योगिकी केन्द्र

**विवरण:** प्रौद्योगिकी केन्द्र (टी.सी.) गुणवत्ता पूर्ण टूल, औद्योगिक रूप से प्रशिक्षित श्रमशक्ति, टूलिंग एवं संबंधित क्षेत्रों में परामर्श प्रदान करके और प्रक्रियाओं एवं फाउंड्री एवं फोर्जिंग, इलैक्ट्रानिक्स, विद्युत मापन उपकरणों, सुरस और सुगंध, ग्लास, खेलकूद के सामान तथा फुटवीयर डिजाइनिंग जैसे उत्पाद समूह में उत्पादों का विकास करके एमएसएमई के समेकित विकास को सुविधाजनक बनाते हैं। ये प्रौद्योगिकी केन्द्र देशभर में ये सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

**सहायता का स्वरूप:** (i) एमएसएमई को उनकी कार्यकुशलता में सुधार करने के लिए टूलिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना। (ii) संबंधित क्षेत्र में प्रक्रिया एवं उत्पाद विकास (iii) संबंधित क्षेत्र में परामर्श तथा रोजगार संबंधी कार्य और (iv) कौशल विकास।

**आवेदन कौन कर सकता है:** (i) ऐसी इकाइयां जो टूलिंग तथा डाइस सुविधाएं तथा परामर्श सेवाएं प्राप्त करने की इच्छुक हों। (ii) प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए योग्यता में स्कूली पढ़ाई छोड़ने वालों से लेकर एम.टेक. स्तर तक के छात्र शामिल हो सकते हैं।

**आवेदन कैसे करें:** प्रशिक्षण हेतु ऑनलाइन आवेदन संबंधित केन्द्रों की वेबसाइट पर किया जा सकता है। टूलिंग या परामर्श सेवाओं हेतु संबंधित तकनीकी केंद्रों से प्रत्यक्ष सम्पर्क किया जा सकता है।

**संपर्क करें:** संबंधित प्रौद्योगिकी केन्द्रों के प्रमुख।

## एमएसएमई के लिए खरीद एवं विपणन सहायता

### खरीद एवं विपणन सहायता (पीएमएस) योजना

**विवरण:** एमएसएमई क्षेत्र में उत्पादों एवं सेवाओं की विपणन क्षमता को बढ़ाने के लिए पीएमएस योजना में सुधार किए गए हैं। इसका उद्देश्य नई बाजार पहुंच पहल को बढ़ावा देना, जागरूकता पैदा करना और एमएसएमई को विभिन्न विपणन संबंधी प्रासंगिक विषयों और विपणन क्षमता के विकास के बारे में शिक्षित करना है।

**सहायता का स्वरूप:** इस योजना में निम्नलिखित योजना घटकों के लिए सहायता उपलब्ध है: (क) देशभर में घरेलू व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में अलग-अलग सूक्ष्म और लघु उद्यमों की भागीदारी (ख) मंत्रालय/विकास आयुक्त (एमएसएमई) के कार्यालय/सरकारी संगठनों द्वारा व्यापार मेलों/प्रदर्शनी का आयोजन/उनमें भाग लेना,(ग) आधुनिक पैकेजिंग तकनीक में एमएसएमई की क्षमता निर्माण,(घ) विपणन हाटों का विकास, (ड.) अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय कार्यशालाएं/सेमिनार, (च) विक्रेता विकास कार्यक्रम: राज्य स्तरीय विक्रेता विकास कार्यक्रम (एसएलवीडीपी) और (छ) जागरूकता कार्यक्रम।

**आवेदन कौन कर सकता है:** अलग-अलग विनिर्माता/सेवारत एमएसई।

**आवेदन कैसे करें:** पात्र एमएसई अपने आवेदन ऑनलाइन <https://my.msme.gov.in> अथवा विद्यमान प्रणाली के तहत प्रस्तुत कर सकते हैं।

**संपर्क करें:** संयुक्त विकास आयुक्त/निदेशक, विकास आयुक्त(एमएसएमई), निर्माण भवन, नई दिल्ली।

## **सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) से खरीद**

**विवरण:** सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति ने यह अधिदेश दिया है कि प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग/पीएसयू अपनी कुल वार्षिक खरीद का 20 प्रतिशत लक्ष्य एमएसई द्वारा उत्पादित वस्तुओं अथवा सेवाओं के लिए निर्धारित करेगा तथा सूक्ष्म और लघु उद्यम द्वारा उत्पादित अथवा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से कुल वार्षिक खरीद का कम से कम 20 प्रतिशत का वार्षिक लक्ष्य रखेगा। हालांकि, सरकार ने हाल ही में सभी सीपीएसई के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वह एमएसएमई से अपनी कुल खरीद का 20 प्रतिशत के बजाय 25 प्रतिशत की खरीद करे। सूक्ष्म और लघु उद्यमों से कुल वार्षिक खरीद के लक्ष्य में से 3 प्रतिशत की खरीद महिला स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए चिन्हित किया जाएगा। वार्षिक खरीद में से 4 प्रतिशत का उप-लक्ष्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीद के लिए चिन्हित किया गया है।

अ.जा./अ.ज.जा. और महिला उद्यमियों सहित एमएसई से खरीद की प्रगति एवं निगरानी के लिए एमएसएमई संबंध पोर्टल की शुरुआत की गई है।

**कौन पात्र हैं:** कोई भी सूक्ष्म अथवा लघु उद्यम।



## अन्य पहल

### एमएसएमई समाधान पोर्टल

**विवरण:** केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग/सीपीएसई/राज्य सरकार द्वारा विलंबित भुगतान से संबंधित अपने मामलों को सीधा पंजीकृत करने के लिए एमएसएमई विलंबित भुगतान पोर्टल ने – एमएसएमई समाधान (<https://samadhaan.msme.gov.in>) लांच किया है, जिससे देशभर में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सशक्त बनाया गया है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) के विलंबित भुगतान के मामले सुलझाने के प्रावधान हैं। प्रावधानों के अनुसार क्रेता यदि वह माल या सेवा की स्वीकृति अथवा स्वीकृति के निर्धारित दिन के 45 दिनों के अंदर माल या सेवा की आपूर्ति के लिए भुगतान नहीं करता है तो वह रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित बैंक दर का तीन गुना की राशि से आपूर्तिकर्ता को मासिक किश्तों के साथ चक्रवृद्धि ब्याज देने के लिए जिम्मेदार होगा।

**कौन पात्र है:** कोई भी सूक्ष्म अथवा लघु उद्यम।

### उद्योग आधार ज्ञापन (यूएम)

उद्यमी ज्ञापन भाग I एवं II को भरने के स्थान पर यूएम को ऑनलाइन भरने के लिए एक पृष्ठ का पंजीकरण फॉर्म आरम्भ किया गया है। यह यूएम <https://udyogaadhaar.gov.in> पर भरा जा सकता है।

उद्योग आधार की प्रमुख विशेषताएं हैं:

- पंजीकरण ऑनलाइन है और प्रयोक्ता अनुकूल है।
- यूएएम स्व-घोषणा आधार पर भरे जा सकते हैं।
- किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है।
- फॉर्म भरने का कोई शुल्क नहीं है।
- एक ही आधार नम्बर से एक से ज्यादा उद्योग आधार भर सकते हैं।

**योजनाओं का विस्तृत विवरण निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है: [www.dcmsme.gov.in](http://www.dcmsme.gov.in), [www.msme.gov.in](http://www.msme.gov.in)**



**सम्पर्क सूत्र**

## एमएसएमई-विकास संस्थान

1. एमएसएमई-विकास संस्थान, इंद्रानगर, (आईटीआई प्ले ग्राउंड के पास), पी.ओ.-कुंजाबन, अगरतला-799006.  
दूरभाष: 0381-2352013 / 9742  
फैक्स: 0381-2356570  
dcddi-agartala@dcmsme.gov.in  
www.msmedi-agartala.nic.in
2. एमएसएमई-विकास संस्थान, 34, औद्योगिक एस्टेट, नुनहाई, (यूपी), आगरा-282006. यूपी  
दूरभाष: 0562-2280879  
फैक्स: 0562-2280882  
dcddi-agra@dcmsme.gov.in  
www.msmediagra.gov.in
3. एमएसएमई-विकास संस्थान, तडोंग हाउसिंग कॉलोनी, पी.ओ. तडोंग, गंगटोक-737102. सिक्किम,  
दूरभाष: 03592-231262 / 880  
फैक्स: 03592-231262  
dcddi-gangtok@dcmsme.gov.in  
www.msmedigangtok.gov.in
4. एमएसएमई-विकास संस्थान, कॉकण रेलवे स्टेशन के सामने (केपेम रोड), पी.ओ. बॉक्स 334, मडगांव-403601. गोवा  
दूरभाष: 0832-2705092 / 93, 2725979  
फैक्स: 0832-2705094  
dcddi-go@dcmsme.gov.in  
www.msmedigoa.gov.in
5. एमएसएमई-विकास संस्थान, 65 / 1, जी.एस.टी. रोड, गिंडी, पोस्ट बॉक्स 3746, चेन्नई-600032. तमिलनाडु,  
दूरभाष: 044-22501011  
044-22501475, 044-22501785  
फैक्स: 044-22341014  
dcddi-chennai@dcmsme.gov.in  
www.msmedi-chennai.gov.in
6. एमएसएमई-विकास संस्थान, विकास सदन, कॉलेज स्क्वायर, कटक-753003. ओडिशा,  
दूरभाष: 0671-2548006 / 077 / 049  
फैक्स: 0671-2611958  
dcddi-cuttack@dcmsme.gov.in  
www.msmedicuttack.gov.in
7. एमएसएमई-विकास संस्थान, औद्योगिक एस्टेट, गोकुल रोड, हुबली-580030 कर्नाटक,  
दूरभाष: 0836-2332334 / 2330589 / 2335634  
फैक्स: 0836-2330389  
dcddi-hubli@dcmsme.gov.in  
www.msmedihubli.gov.in
8. एमएसएमई-विकास संस्थान, सी-17 / 18, तकयेलपाट इंडस्ट्रियल एस्टेट, इम्फाल-795001. मणिपुर  
दूरभाष: 0385-2449096 / 2449096  
dcddi-imphal@dcmsme.gov.in  
www.msme-diimphal.gov.in

## एमएसएमई-विकास संस्थान

9. एमएसएमई-विकास संस्थान, औद्योगिक एस्टेट बामुनी मैदान, गुवाहाटी -781021. असम  
दूरभाष: 0361-2550052, 2550073  
फैक्स: 0361-2550298  
dcdi-guwahati@dcmsme.gov.in  
www.msmedi-guwahati.gov.in
10. एमएसएमई-विकास संस्थान, खाम बांग्ला कैम्पस, कालाडुंगी रोड, हल्द्वानी-263139. उत्तराखण्ड,  
दूरभाष: 05946-228353  
फैक्स: 05946-221053  
dcdi-haldwani@dcmsme.gov.in  
www.msmedihaldwani.gov.in
11. एमएसएमई-विकास संस्थान, 36, बी/सी, गांधी नगर, जम्मू-180004.  
जम्मू एवं कश्मीर  
दूरभाष: 0191-2431077  
फैक्स: 0191-2450035  
dcdi-jammu@dcmsme.gov.in  
www.msmedijammu.gov.in
12. एमएसएमई-विकास संस्थान, 107, औद्योगिक एस्टेट, कालपी रोड, कानपुर-208012. यूपी  
एमएसएमई-विकास संस्थान, 107, औद्योगिक एस्टेट, कालपी रोड, कानपुर-208012 (यूपी)  
dcdi-kanpur@dcmsme.gov.in  
www.msmedikanpur.gov.in
13. एमएसएमई-विकास संस्थान, 10, इंडस्ट्रियल एस्टेट, पोली ग्राउंड, इंदौर-452003. मध्य प्रदेश  
दूरभाष 0731-2420723  
dcdi-indore@dcmsme.gov.in  
www.msmeindore.nic.in
14. एमएसएमई-विकास संस्थान, 22, गोदाम, औद्योगिक एस्टेट, जयपुर-302006. राजस्थान,  
दूरभाष: 0141-2212098 / 3099 / 0553  
फैक्स: 0141-2210553  
dcdi-jaipur@dcmsme.gov.in  
www.msmedijaiipur.gov.in
15. एमएसएमई-विकास संस्थान, कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका, मुम्बई-400072. महाराष्ट्र,  
दूरभाष: 91-22-28576090 / 3091 / 4305  
फैक्स: 91-22-28578092  
dcdi-mumbai@dcmsme.gov.in  
www.msmedimumbai.gov.in
16. एमएसएमई-विकास संस्थान, सी- ब्लॉक, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, सेमिनरी हिल, नागपुर-440006. महाराष्ट्र,  
दूरभाष 0712-2510352 / 0046  
फैक्स: 0712-2511985  
dcdi-nagpur@dcmsme.gov.in  
www.msmedinagpur.gov.in

## एमएसएमई-विकास संस्थान

17. एमएसएमई-विकास संस्थान, औद्योगिक विकास कॉलोनी, आईटीआई के पास, कुंजपुरा रोड करनाल-132001. हरियाणा, दूरभाष: 0184-2230910 फ़ैक्स: 0184-2231862 dcdi-karnal@dcmsme.gov.in www.msmedikarnal.gov.in
21. एमएसएमई-विकास संस्थान, ओखला औद्योगिक एस्टेट नई दिल्ली-110020. दूरभाष: 011-26847223 26838118 / 269 फ़ैक्स: 011-26838016 dcdi-ndelhi@dcmsme.gov.in www.msmedinewdelhi.gov.in
- 
18. एमएसएमई-विकास संस्थान, 111 और 112, बी.टी. रोड, कोलकाता-700035. पश्चिम बंगाल, दूरभाष: 033-25770595 / 598 फ़ैक्स: 033-25775531 dcdi-kolkatta@dcmsme.gov.in www.sisikolkata.gov.in
22. एमएसएमई-विकास संस्थान, पाटिलीपुत्र औद्योगिक एस्टेट, पटना-800013. बिहार, दूरभाष: 0612-2262719 0612-2262186, 0612-2262208 फ़ैक्स: 0612-2261677 dcdi-patna@dcmsme.gov.in www.msmedipatna.gov.in
- 
19. एमएसएमई-विकास संस्थान, औद्योगिक क्षेत्र बी, लुधियाना-141003. पंजाब, दूरभाष: 0161-2531733 / 735 फ़ैक्स: 0161-2533225 dcdi-luddhiana@dcmsme.gov.in www.msmedildn.gov.in
23. एमएसएमई-विकास संस्थान, उरकुरा रेलवे स्टेशन के पास, भानपुरी औद्योगिक क्षेत्र, रायपुर (सीजी)-493221. छत्तीसगढ़, दूरभाष: 0771-2562312 फ़ैक्स: 0771-2562719 dcdi-raipur@dcmsme.gov.in www.msmediraipur.gov.in
- 
20. एमएसएमई-विकास संस्थान, कोकर इंडस्ट्रियल एस्टेट, रांची-834001. झारखंड, दूरभाष: 0651-2546133 / 2546266 फ़ैक्स: 0651-2546235 dcdi-ranchi@dcmsme.gov.in www.msmediranchi.nic.in
24. एमएसएमई-विकास संस्थान, E-17 / 18, औद्योगिक एस्टेट, नैनी, इलाहाबाद-211009. यू.पी., दूरभाष: 0532-2697468 / 6810 फ़ैक्स: 0532-2696809 dcdi-allbad@dcmsme.gov.in www.msmediallahabad.gov.in

## एमएसएमई-विकास संस्थान

25. एमएसएमई-विकास संस्थान,  
चम्बाघाट,  
सोलन-173213. हिमाचल प्रदेश,  
दूरभाष: 01792-230766  
फैक्स: 01792-230265  
dcdi-solan@dcmsme.gov.in  
www.msmedihimachal.nic.in
28. एमएसएमई-विकास संस्थान,  
राजाजी नगर,  
औद्योगिक एस्टेट  
बैंगलोर-560044. कर्नाटक,  
दूरभाष: 080-23151540  
/ 582 / 583  
फैक्स: 080-23144506  
dcdi-bang@dcmsme.gov.in  
www.msmedibangalore.gov.in
- 
26. एमएसएमई-विकास संस्थान,  
कंजनी रोड, अय्यानथोल  
त्रिशूर-680003. केरल,  
दूरभाष: 0487-2360216 / 686  
फैक्स: 0487-2360216  
dcdi-thrissur@dcmsme.gov.in  
www.msmedithrissur.gov.in
29. एमएसएमई-विकास संस्थान,  
नरसापुर क्रॉस रोड,  
बाला नगर,  
हैदराबाद-500037. आंध्र प्रदेश,  
दूरभाष: 040-23078857  
फैक्स: 040-23078131 / 32 / 33  
dcdi-hyd@dcmsme.gov.in  
www.msmehyd.ap.nic.in
- 
27. एमएसएमई-विकास संस्थान, ,  
हरसिद्ध चैम्बर, चतुर्थ तल,  
आश्रम रोड,  
अहमदाबाद-380014. गुजरात,  
दूरभाष: 079-27540619,  
079-27544248  
079-27543147  
dcdi-ahmbad@dcmsme.gov.in  
www.msmediahmedabad.gov.in
30. एमएसएमई-विकास संस्थान,  
संस्थान, गोशाला रोड,  
पी.ओ. रमना,  
मुज़फ़्फ़रपुर-842002. बिहार,  
दूरभाष: 0621-2282486  
फैक्स: 2284425  
dcdi-mzfpur@dcmsme.gov.in  
www.msmedimzfpur.bih.nic.in

## शाखा एमएसएमई-विकास संस्थान

1. शाखा एमएसएमई-डीआई एफ-19-22, ब्लॉक डीआईडीए, ऑटोनगर, विशाखापत्तनम-530012. दूरभाष: 0891-2517942 brdcdi-vish@dcmsme.gov.in
2. शाखा एमएसएमई-डीआई एपिडफेक बिल्डिंग 'सी' सेक्टर, ईटानगर-791111. 0360-2291176 brmsme.itan@gmail.com
3. शाखा एमएसएमई-डीआई वीआईपी रोड, जंगल घाट, पोस्ट बॉक्स नंबर 547, पोर्टब्लेयर-744103. दूरभाष: 03192-252308
4. शाखा एमएसएमई-डीआई लिंक रोड पाइंट, एन.एस. एवेन्यू, सिलचर-788006. 03842-247649 brdcdi-silc@dcmsme.gov.in
5. शाखा एमएसएमई-डीआई डारंग कॉलेज रोड, तेजपुर-784001. 03712-221084 brdcdi-tezp@dcmsme.gov.in
6. शाखा एमएसएमई-डीआई अमलपट्टी, दीफू -782460. कार्बी आंगलॉग (जिला), 03761-272549 brdcdi-diph@dcmsme.gov.in
7. शाखा एमएसएमई-डीआई मसाट इंडस्ट्रियल एस्टेट, सिलवासा-396230. 0260-2640933,2643103 brdcdi-silv@dcmsme.gov.in
8. शाखा एमएसएमई-डीआई तीसरी मंजिल, एनेक्सी बिल्डिंग अमृता (जसानी) बिल्डिंग परिसर, गिरनार सिनेमा के पास एम.जी. रोड, राजकोट-360001. 0281-2471045 brdcdi-rajk@dcmsme.gov.in
9. शाखा एमएसएमई-डीआई आईटीआई परिसर, हांसी रोड, भिवानी-125021. 01664-242236 brdcdi-bhiw@dcmsme.gov.in
10. शाखा एमएसएमई-डीआई इंडस्ट्रियल इस्टेट डिगियाना, जम्मू तवी-180010.
11. शाखा एमएसएमई-डीआई कतरास रोड, मटकुरिया, धनबाद-826001. 0326-2303769 / 380 brdcdi-dhan@dcmsme.gov.in
12. शाखा एमएसएमई-डीआई एल-11, इंडस्ट्रियल एस्टेट, येय्यादी, मंगलोर-575008. 0824-2217936 / 96 brdcdi-mang@dcmsme.gov.in
13. शाखा एमएसएमई-डीआई सी-1 और 2, औद्योगिक एस्टेट, एस.के. मिल रोड, गुलबर्गा-585102. दूरभाष: 08472-420944 brdcdi-gulb@dcmsme.gov.in
14. शाखा एमएसएमई-डीआई 7, इंडस्ट्रियल एस्टेट, तानसेन रोड, ग्वालियर-474004. दूरभाष: 0751 / 2422590 brdcdi-gwal@dcmsme.gov.in



## शाखा एमएसएमई-विकास संस्थान

15. शाखा एमएसएमई-डीआई उद्योग विहार, चोरहट्टा, रीवा-486001.  
दूरभाष: 07662 / 222448  
brdcdi-reva@dcmsme.gov.in
22. शाखा एमएसएमई-डीआई न्यू कॉलोनी, रायागडा-765004.  
छूरभाष: 06852-222268  
brdcdi-roya@dcmsme.gov.in
16. शाखा एमएसएमई-डीआई 32-33, एमआईडीसी, इंडस्ट्रियल क्षेत्र, चिकल थाना, औरंगाबाद-431210.  
दूरभाष: 0240-2485430  
फैक्स: 0240-2484204  
brdcdi-aura@dcmsme.gov.in
23. शाखा एमएसएमई-डीआई 386, पटेल रोड, राम नगर, कोयम्बटूर 0422-2233956 (टैलि फैक्स)  
brdcdi-coim@dcmsme.gov.in
17. एमएसएमई-डीआई लोअर लचीमीयर, शिलांग-793001.  
03642223349  
brdcdi-shil@dcmsme.gov.in
24. शाखा एमएसएमई-डीआई प्लॉट न. 76, सीजीई कॉलोनी, त्रिचेन्द्र रोड, तूतीकोरिन-628003.  
0461- 2375345
18. शाखा एमएसएमई-डीआई हवाखाना, पो.ऑ. तूरा, वैस्ट-गारो हिल्स-794001.  
003651-222569  
brdcdi-tura@dcmsme.gov.in
25. शाखा एमएसएमई-डीआई चांदपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट, वाराणसी-221106.  
दूरभाष: 0542- 2370621  
brdcdi-vara@dcmsme.gov.in
19. शाखा एमएसएमई-डीआई अपर रिपब्लिक रोड, आइजॉल 0389-2323448  
brdcdi-aizw@dcmsme.gov.in
26. शाखा एमएसएमई-डीआई स्टेशन मोर, पो.ऑ. सूरी, बीरभूम-731101.  
दूरभाष: 03462-2554402  
brdcdi-birb@dcmsme.gov.in
20. शाखा एमएसएमई-डीआई इंडस्ट्रियल एस्टेट, दीमापुर-795001.  
03862-248552  
brdcdi-dima@dcmsme.gov.in
27. शाखा एमएसएमई-डीआई 3 और 4, इंडस्ट्रियल एस्टेट, सेवॉक रोड, सिलिगुडी-734001.  
दूरभाष: 0353 / 2542487  
brdcdi-sili@dcmsme.gov.in
21. शाखा एमएसएमई-डीआई सी-9, इंडस्ट्रियल एस्टेट, राउरकेला-769004.  
छूरभाष: 0661-2507492  
brdcdi-rour@dcmsme.gov.in
28. शाखा एमएसएमई-डीआई आरए-39 (भूतल), उर्वसी (फेज 2), बगाल अम्बुजा, ताराशंकर सारनी, सिटी सेन्टर, दुर्गापुर-713216.  
दूरभाष: 0343-2547129  
brdcdi-durg@dcmsme.gov.in

## एमएसएमई-डीआई एक्सटेंशन सेन्टर (बालसहयोग)

सहायक निदेशक- प्रभारी  
एक्सटेंशन सेन्टर (बालसहयोग)  
हल्दीराम के विपरीत एल-ब्लॉक, आउटर सर्किल, कर्नाट सर्कस  
विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय, भारत सरकार,  
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, नई दिल्ली- 110001.  
टेलि: 011-23411950, 23414364

## एमएसएमई - प्रौद्योगिकी केंद्र

1. प्रबंध निदेशक,  
एमएसएमई- प्रौद्योगिकी केंद्र  
(इंडो जर्मन टूल रूम),  
पी -31, एमआईडीसी,  
चिकल थाना औद्योगिक क्षेत्र,  
औरंगाबाद-431006. (महाराष्ट्र)  
दूरभाष : 0240- 2486832  
फैक्स: 0240- 2484028  
gm@igtr.aur.org
2. महाप्रबंधक  
एमएसएमई- प्रौद्योगिकी केंद्र  
(इंडो जर्मन टूल रूम)  
प्लॉट-5003, फेज-IV,  
जीआईडीसी वटवा, मेहमदाबाद  
रोड, अहमदाबाद-382445.  
(गुजरात)  
दूरभाष: 079- 25840966  
फैक्स: 079-25841962  
gm@igtrahd.com
3. महाप्रबंधक (आई/सी),  
एमएसएमई- प्रौद्योगिकी केंद्र  
(इंडो जर्मन टूल रूम)  
प्लॉट नं 291/बी,  
302/ए, सेक्टर-ई, सांवेर रोड,  
औद्योगिक क्षेत्र, इंदौर-452015. (एमपी)  
दूरभाष दूरभाष : 0731-4210704  
फैक्स: 0731-2720353  
patogm@igtr-indore.com
4. महाप्रबंधक,  
एमएसएमई- प्रौद्योगिकी केंद्र  
(सेंट्रल टूल रूम)  
ए-5, फोकल प्वाइंट,  
लुधियाना-141010. (पंजाब)  
दूरभाष : 0161-2670057  
फैक्स: 0161-2674746  
info@ctrludhiana.com
5. प्रधान निदेशक (आई/सी),  
एमएसएमई- प्रौद्योगिकी केंद्र  
(सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टूल  
डिजाइन)  
ए-1 से ए-8 एपीआईई,  
बालानगर, हैदराबाद-500037.  
(तेलंगाना)  
दूरभाष: 040-23772748  
फैक्स: 040-23772658  
pd@citindia.org
6. एमएसएमई- प्रौद्योगिकी केंद्र  
(केंद्रीय उपकरण कक्ष और  
प्रशिक्षण केंद्र),  
बोनहूगली औद्योगिक क्षेत्र,  
कोलकाता-700108. (पश्चिम बंगाल)  
दूरभाष: 033-25776350  
फैक्स: 033-25772494  
cttc@cal.vsnl.net.in  
debduutta.guha@  
msmetoolroomkolkata.com

## एमएसएमई - प्रौद्योगिकी केंद्र

7. प्रबंध निदेशक,  
एमएसएमई— प्रौद्योगिकी केंद्र  
(केंद्रीय उपकरण कक्ष और  
प्रशिक्षण केंद्र),  
बी-36, चंदका औद्योगिक क्षेत्र,  
पी.ओ. पाटिया, भुवनेश्वर—  
751024. (उड़ीसा)  
दूरभाष: 0674-3011701  
फैक्स: 0674-3011750  
cttc@cttc.gov.in
8. महाप्रबंधक,  
एमएसएमई— प्रौद्योगिकी केंद्र  
(इंडो डेनिश टूल रूम)  
एम-4 (भाग) फेज- VI,  
टाटा कॉड्रा रोड, गम्हरिया,  
जमशेदपुर-832108. (झारखंड)  
दूरभाष: 0657- 2201261 / 2  
फैक्स: 0657-2202723  
reach@idtrjamshedpur.com
9. परियोजना प्रबंधक,  
एमएसएमई— प्रौद्योगिकी केंद्र  
(टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर)  
अमिनगांव औद्योगिक क्षेत्र,  
उत्तरी गुवाहाटी रोड,  
अमिनगांव, गुवाहाटी-781031.  
दूरभाष: 0361-2680907  
फैक्स: 0361-2681030  
trtcghy@hotmail.com
10. प्रधान निदेशक  
एमएसएमई—प्रौद्योगिकी केंद्र  
(सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हैंड टूल्स)  
जीटी रोड, बाय पास,  
शहीद भगत सिंह कॉलोनी के  
सामने, जालंधर-144008. (पंजाब)  
दूरभाष: 0181-2290225  
फैक्स: 0181-2290457  
info@ciht.in
11. प्रबंध निदेशक  
एमएसएमई— प्रौद्योगिकी केंद्र  
(विद्युत माप उपकरणों के डिजाइन  
के लिए संस्थान) स्वातंत्र्यवीर  
तात्या टोपे मार्ग, चूनाभट्टी,  
सायन, मुम्बई-400022. (महाराष्ट्र)  
दूरभाष: 022-24050301 / 2  
फैक्स: 022-24050016  
info@idemi.org  
svrasal@yahoo.com
12. प्रधान निदेशक  
एमएसएमई— प्रौद्योगिकी केंद्र  
(विद्युत सेवा और प्रशिक्षण केंद्र),  
ढेला रोड, कनिया, रामनगर, जिला  
नैनीताल-244715. उत्तराखंड  
दूरभाष: 05947-252168  
फैक्स: 05947-251294  
pd&estc@yahoo.com
13. प्रधान निदेशक  
एमएसएमई— प्रौद्योगिकी केंद्र  
(प्रक्रिया और उत्पाद विकास केंद्र),  
फाउंड्री नगर, आगरा-282006.  
(उ.प्र.)  
दूरभाष: 0562-2344673  
फैक्स: 0562-2344381  
ppdcagra.in  
paselvam@gmail.com
14. प्रधान निदेशक  
एमएसएमई—प्रौद्योगिकी केंद्र  
(प्रक्रिया सह उत्पाद विकास केंद्र),  
खेल-सामग्री परिसर, दिल्ली रोड,  
मेरठ-250002. (यूपी)  
दूरभाष: 0121-2511779  
फैक्स: 0121-2530444  
info@ppdcmeerut.  
comppdcmeerut@yahoo.co.in

## एमएसएमई - प्रौद्योगिकी केंद्र

15. निदेशक,  
एमएसएमई— प्रौद्योगिकी केंद्र  
(केंद्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थान),  
सी-41 और 42, साइट  
'सी', सिकंदरा रोड, औद्योगिक  
क्षेत्र, आगरा-282007.  
(यूपी)  
दूरभाष: 0562-2642005  
फैक्स: 0562-2280882  
info@cftiagra.org.in  
sanatansahoo27@gmail.com
16. निदेशक एमएसएमई—  
प्रौद्योगिकी केंद्र  
(केंद्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थान),  
65/1, जीएसटी रोड, गिंडी,  
चेन्नई-600032. (तमिलनाडु)  
दूरभाष: 044-22501529  
फैक्स: 044-22500876  
chennaicfti@gmail.com  
cfti@cftichennai.in
17. प्रधान निदेशक  
एमएसएमई— प्रौद्योगिकी केंद्र  
(सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र),  
औद्योगिक एस्टेट, जीटी रोड,  
पी.ओ. मकरद नगर,  
कन्नौज-209726. (यूपी)  
फोन: 05694-234791  
फैक्स: 05694-235242  
ffdcknj@gmail.com  
shaktiffdc@gmail.com
18. प्रधान निदेशक  
एमएसएमई— प्रौद्योगिकी केंद्र  
(कांच उद्योग विकास केंद्र),  
ए-1/1, औद्योगिक क्षेत्र, जलेसर  
रोड, पीओ मुइद्दीनपुर, फिरोजाबाद  
-283203. (यूपी)  
दूरभाष: 05612-203238  
फैक्स: 05612-233087  
cdgifizbd@gmail.com

## एमएसएमई-विकास संस्थान और शाखा विकास संस्थान के उद्यम सुविधा केंद्र (ई.एफ.सी.)

1. ईएफ सी, एमएसएमई—विकास  
संस्थान (शाखा), एफ-19-22,  
डी ब्लॉक, आईडीए, ऑटोनगर,  
विशाखापत्तनम,  
आंध्र प्रदेश-530012.  
दूरभाष नं 0891-2517942/2701061  
srinu.appikonda@dcmsme.gov.in,  
srinu1981@yahoo.in
2. ई.एफ.सी., एमएसएमई—विकास  
संस्थान, पाटलीपुत्र इंडस्ट्रियल  
एस्टेट, पटना-800013, (बिहार)  
naveenmsme1970@gmail.com
3. ई.एफ.सी., एमएसएमई—विकास  
संस्थान, गौशाला रोड, पी.ओ. रमना,  
मुजफ्फरपुर, बिहार-842002.  
kpsingh561964@gmail.com
4. ई.एफ.सी., एमएसएमई—विकास  
संस्थान, रायपुर उरकुरा रेलवे  
स्टेशन के पास भानपुरी औद्योगिक  
क्षेत्र, बिरगाँव-493221. (छत्तीसगढ़)  
gajbhiye95@gmail.com

## एमएसएमई-विकास संस्थान और शाखा विकास संस्थान के उद्यम सुविधा केंद्र (ई.एफ.सी.)

5. ई.एफ.सी., एमएसएमई-विकास संस्थान, शहीद कैप्टन गौड़ मार्ग, ओखला, नई दिल्ली-110020  
bpsingh10ke@gmail.com
10. ई.एफ.सी., शाखा एमएसएमई-विकास संस्थान, आईटीआई कैम्पस, हांसी रोड, भिवानी-127021. हरियाणा  
harpl2126@gmail.com
6. ई.एफ.सी., एक्सटेंशन सेंटर, नई दिल्ली, 11. ई.एफ.सी., एमएसएमई-विकास संस्थान, चम्बाघाट, सोलन-173213. हिमाचल प्रदेश  
vsmsme@rediffmail.com
- मार्फत विस्तार केंद्र (बाल सहयोग), हल्दीराम के सामने, एल-ब्लॉक, बाहरी सर्कल, कर्नाट सर्कस, नई दिल्ली-110001. (डीआई और पीपीडीसी द्वारा संयुक्त रूप से)  
vikas-msmetdc@gmail.com
7. ई.एफ.सी., एमएसएमई-विकास संस्थान, सामने कोंकण रेलवे स्टेशन, क्यूपेम रोड, मड़गांव, गोवा-403601.  
deepa-gl@gov.in
12. ई.एफ.सी., एमएसएमई-विकास संस्थान, औद्योगिक एस्टेट, डिगयाना जम्मू-180010. (डीआई और पीपीडीसी द्वारा संयुक्त रूप से)  
miraltafahmad2010@gmail.com
8. ई.एफ.सी., एमएसएमई-विकास संस्थान, भारत सरकार, चतुर्थ तल, हरसिद्ध चैम्बर्स, इनकम टैक्स सर्किल, निकट ईएसआईसी ऑफिस, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380014. (गुजरात)  
tarun-solanki@gov.in
13. ई.एफ.सी., कमरा नं.-3, एमएसएमई-विकास संस्थान रांची, इंडस्ट्रियल एस्टेट, कोकर, रांची-834001. झारखंड  
neetu.msme@gov.in
9. ई.एफ.सी., तृतीय तल, एनेक्सी बिल्डिंग, अमृता (जसानी) बिल्डिंग परिसर, गिरनार सिनेमा के पास, एम.जी. रोड, राजकोट-360001. (गुजरात) (डीआई और पीपीडीसी द्वारा संयुक्त रूप से)  
brdcdi-rajk@dcmsme.gov.in  
prj.msmeetdc@gmail.com
14. ई.एफ.सी., कमरा नंबर-8, शाखा एमएसएमई-विकास संस्थान, धनबाद, कटरस रोड, मटकूरिया, धनबाद-826001. झारखंड  
skumar-msme@gov.in

## एमएसएमई-विकास संस्थान और शाखा विकास संस्थान के उद्यम सुविधा केंद्र (ई.एफ.सी.)

15. ई.एफ.सी.,  
शाखा एमएसएमई-विकास  
संस्थान, मसट इंडस्ट्रियल  
एस्टेट, सिलवासा, दादरा और नगर  
हवेली संघ राज्य क्षेत्र-396230.  
फोन: 0260-2643103,  
फैक्स: 0260-2640933  
Solanki-pn@gov.in,  
brdcdi-SILV@dcmsme@gov.in
20. ई.एफ.सी., एमएसएमई-विकास  
संस्थान, राजनगर इंडस्ट्रियल  
इस्टेट, वैस्ट ऑफ कॉर्ड रोड, फायर  
स्टेशन के सामने बंगलौर-560010.  
कर्नाटक  
sumansraju@nic.in
- 
16. ई.एफ.सी., एमएसएमई-विकास  
संस्थान, औद्योगिक विकास  
कालोनी, निकट आई.टी.  
आई., कुंजपुरा रोड  
करनाल-132001. हरियाणा,  
tripathi-rachna8@gmail.com
21. ई.एफ.सी., शाखा  
एमएसएमई-विकास संस्थान,  
एल-11, इंडस्ट्रियल एरिया, येय्याडी,  
मंगलोर, कर्नाटक-575008.  
sruthigpoduval@gmail.com
- 
17. ई.एफ.सी.,  
शाखा एमएसएमई-विकास संस्थान,  
गोकुल रोड,  
विपरीत टू गोकुल गार्डन,  
हुबली-580030.  
sccrasta@dcmsme.gov.in
22. ई.एफ.सी., एमएसएमई-विकास  
संस्थान, सी ब्लॉक, सीजीओ  
कॉम्प्लेक्स, सेमिनरी हिल्स, नागपुर,  
महाराष्ट्र, पिन- 440006.  
msmevijay@gmail.com
- 
18. ई.एफ.सी., शाखा एमएसएमई-  
विकास संस्थान, सूक्ष्म, लघु और  
मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत  
सरकार, सी 1 और सी 2,  
औद्योगिक एस्टेट, एम.एस.के. मिल  
रोड, कालाबुर्गी (गुलबर्गी)-585102.  
कर्नाटक  
chatla-snmurthy@gmail.com
23. ई.एफ.सी., एमएसएमई-विकास  
संस्थान, विकास सदन, कॉलेज  
स्ववायर, म्युनिसिपल कॉलोनी,  
कटक, ओडिशा-753003.  
dargadc@yahoo.co.in
- 
19. ई.एफ.सी., एमएसएमई-विकास  
संस्थान, कंजानी  
रोड, अय्यांथोले, त्रिशूर-680003.  
sindhumaniam@gmail.com
24. ई.एफ.सी., शाखा  
एमएसएमई-विकास संस्थान,  
राउरकेला, सी /9, इंडस्ट्रियल  
एस्टेट, राउरकेला-769012. ओडिशा  
suvendu.kumar@gov.in

## एमएसएमई-विकास संस्थान और शाखा विकास संस्थान के उद्यम सुविधा केंद्र (ई.एफ.सी.)

25. ई.एफ.सी., एमएसएमई-विकास  
न्यूक्लियस सेल,  
अमीनी द्वीप समूह, संघ शासित  
प्रदेश, लक्षद्वीप-682552.  
ambroseroyson@dcmsme.gov.in,  
brdcdi-laks@dcmsme.gov.in
30. ई.एफ.सी., शाखा  
एमएसएमई-विकास संस्थान, आर.  
के. नगर, रायगडा-765001. ओडिशा  
nkratnam23@gmail.com
26. ई.एफ.सी., एमएसएमई-विकास  
संस्थान, 10, इंडस्ट्रियल एस्टेट,  
पोलो ग्राउंड,  
इंदौर-452003. म.प्र.  
rk.mohnani.msme@gov.in
31. ई.एफ.सी., एमएसएमई-विकास  
संस्थान, औद्योगिक क्षेत्र बी,  
लुधियाना-141003. पंजाब  
mkvmsme@gmail.com
27. ई.एफ.सी., शाखा एमएसएमई-  
विकास संस्थान, उद्योग विहार,  
चोरहाटा, रीवा-486006.  
rk.barnwal-msme@gov.in
32. ई.एफ.सी., एमएसएमई डेवलपमेंट  
इंस्टीट्यूट, (भारत सरकार,  
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम  
मंत्रालय), 22 गोदाम इंडस्ट्रियल  
इस्टेट, (गोदाम नं. 2 के  
सामने), जयपुर-302006.  
दूरभाष-0141-4012482,  
फैक्स-0151-2210553  
bhatnagar.tarun@gov.in
28. ई.एफ.सी. मुम्बई,  
एमएसएमई-विकास  
संस्थान, कुर्ला अंधेरी रोड,  
साकीनाका, मुम्बई-400072.  
bsathe.iss@gmail.com
33. ई.एफ.सी., पीपीडीसी-एक्सटेंशन  
सेंटर, इंडस्ट्रियल एरिया, बासनी  
रोड, रांटेरी चौराहा, नागौर-341001.  
(राजस्थान)  
goutam.msme@dc@gmail.com
29. ई.एफ.सी., शाखा  
एमएसएमई-विकास संस्थान,  
औरंगाबाद, पी-83 चिकालथाना,  
एमआई.एफ.सी., नरेगांव रोड,  
औरंगाबाद-431006.  
subasj468@yahoo.com
34. ई.एफ.सी., (एमएसएमई-विकास  
संस्थान), चेन्नई नंबर 65/1,  
जीएसटी रोड, गिंडी इंडस्ट्रियल  
एरिया, चेन्नई, तमिलनाडु-641009.  
jayachandiran@gmail.com

## एमएसएमई-विकास संस्थान और शाखा विकास संस्थान के उद्यम सुविधा केंद्र (ई.एफ.सी.)

35. ई.एफ.सी., शाखा  
एमएसएमई-विकास संस्थान,  
पटेल रोड, रामनगर, कोयम्बटूर,  
तमिलनाडु-641009.  
kayalvizhi.b@gmail.com

40. ई.एफ.सी., निदेशक,  
एमएसएमई-विकास संस्थान.111  
और 112, बीटी रोड,  
कोलकाता -700108.  
sitanathm@dcmsme.gov.in

36. ई.एफ.सी., शाखा  
एमएसएमई-विकास संस्थान,  
नं-6, जयराज रोड, तूतीकोरिन,  
तमिलनाडु-682002.  
jerinamsme@gmail.com

41. ई.एफ.सी., शाखा एमएसएमई  
डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, आरए39  
(ग्राउंड फ्लोर), उर्वशी ( फेज-II),  
बंगाल अंबुजा, ताराशनार सरानी,  
सिटी सेंटर, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल,  
पिन-713216.  
tkbanik2016@gmail.com

37. ई.एफ.सी., नरसापुर क्रॉस  
रोड, बालानगर,  
हैदराबाद, तेलंगाना-500037.  
sumathi.msme@gmail.com

42. ई.एफ.सी., एमएसएमई-विकास  
संस्थान, आर.एन. टैगोर  
रोड, सूरी, बीरभूम: 731101.  
फोन: 03462 - 255402  
sksen.msme@gmail.com

38. ई.एफ.सी., एमएसएमई-विकास  
संस्थान, खाम बांग्ला कैम्पस,  
कालाडुंगी रोड,  
हल्द्वानी-263139. उत्तराखंड  
dcdi-haldwani@dcmsme.gov.in,  
pushkar&bisht12@yahoo.in

43. ई.एफ.सी., शाखा एमएसएमई-  
विकास संस्थान, औद्योगिक एस्टेट,  
शेड नंबर 3 और 4, सेवॉक रोड,  
द्वितीय माइल, सिलीगुड़ी,  
जिला-जलपाईगुड़ी, पिन-734001.  
tapankrbanerjee2@gmail.com

39. ई.एफ.सी., एमएसएमई-विकास  
संस्थान, 107, औद्योगिक  
एस्टेट, फजलगंज, कपाली रोड,  
कानपुर-208012.  
amit.msme@gnp@gmail.com  
mail.9451787939@gmail.com

44. ई.एफ.सी., शाखा  
एमएसएमई-विकास संस्थान,  
औद्योगिक एस्टेट, चांदपुर,  
वाराणसी-221106.  
दूरभाष-0542-2370621  
rakesh.chaudhary@dcmsme.gov.in



## एमएसएमई-विकास संस्थान और शाखा विकास संस्थान के उद्यम सुविधा केंद्र (ई.एफ.सी.)

45. ई.एफ.सी., एमएसएमई-विकास संस्थान (सिटी ऑफिस), ए-विंग, तृतीय तल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, संजय प्लेस, आगरा-2822002. [mksharma@msmediagra.gov.in](mailto:mksharma@msmediagra.gov.in)
47. ई.एफ.सी., शाखा एमएसएमई-विकास संस्थान, औद्योगिक एस्टेट, डॉलीगंज, पोर्ट ब्लेयर, पिन-744103. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह [jangammouli@yahoo.com](mailto:jangammouli@yahoo.com)
46. ई.एफ.सी., एमएसएमई-विकास संस्थान, ई-17/18, औद्योगिक एस्टेट, नैनी, इलाहाबाद-211009, (यूपी) (डीआई और पीपीडीसी द्वारा सयुक्त रूप से) [sps.msme@gmail.com](mailto:sps.msme@gmail.com)

## प्रौद्योगिकी केंद्रों के ई.एफ.सी.

1. ई.एफ.सी., एमएसएमई-टूल रूम इंडो जर्मन टूल रूम) प्लॉट-5003, फेज-IV, जीआई.एफ.सी. वेतवा मेहमदाबाद रोड, अहमदाबाद-382445. (गुजरात) [vsigtr@gmail.com](mailto:vsigtr@gmail.com)
4. ई.एफ.सी., एमएसएमई-टूल रूम, (इंडो जर्मन टूल रूम) प्लॉट नं 291/बी-302/ए, सेक्टर-ई सावेर रोड इंडस्ट्रियल एरिया, इंदौर-452003. (मध्य प्रदेश) [vinetgarg1973@yahoo.co.in](mailto:vinetgarg1973@yahoo.co.in)
2. ई.एफ.सी., एमएसएमई-टूल रूम (इंडो डेनिश टूल रूम) एम -4 (भाग) फेज-VI, टाटा कांझा रोड, गम्हरिया, जमशेदपुर (झारखंड) [pswain@idtr.gov.in](mailto:pswain@idtr.gov.in)
5. ई.एफ.सी., एमएसएमई-प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (इंस्टीट्यूट फॉर डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रुमेंट्स) एस.टी. टोपे मार्ग चूनाभट्टी, पी.ओ. सायन, मुम्बई-22. [training@idemi.org](mailto:training@idemi.org)
3. ई.एफ.सी., एमएसएमई-टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), पी-31, एमआई.एफ.सी., चिकलथाना इंडस्ट्रियल क्षेत्र, औरंगाबाद-431006. [awsekar.gs@igtr-aur.org](mailto:awsekar.gs@igtr-aur.org); [gm@igtr-aur.org](mailto:gm@igtr-aur.org)
6. ई.एफ.सी., एमएसएमई-प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र), जी.टी. रोड, इंडस्ट्रियल एस्टेट, पी.ओ. मकरंद नगर, कन्नौज (यूपी) [bairwababulal@yahoo.com](mailto:bairwababulal@yahoo.com)

## प्रौद्योगिकी केंद्रों के ई.एफ.सी.

7. ई.एफ.सी., एमएसएमई—टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर) बी-36, चंदका औद्योगिक क्षेत्र पी.ओ. पटिया, भुवनेश्वर-751024. (ओडिशा) skkar@cttc.gov.in
12. ई.एफ.सी., एमएसएमई—प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (प्रोसेस कम प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर) स्पोर्ट्स गुड्स कॉम्प्लेक्स, दिल्ली रोड मरठ-250002. (यूपी) vksingh@ppdcmeerut.com
- 
8. ई.एफ.सी., एमएसएमई—टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम) ए-5, फोकल प्वाइंट, लुधियाना-141010. (पंजाब) training@ctrludhiana.com
13. ई.एफ.सी., एमएसएमई—प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (प्रोसेस कम प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर) फाउंड्री नगर, आगरा-282006. (यूपी) ashwin.msme.tdc@gmail.com
- 
9. ई.एफ.सी., एमएसएमई—टूल रूम (सेंट्रल इस्टीमेट ऑफ हैंड टूल्स) जी.टी. रोड, बाय पास, जालंधर-144008. (पंजाब) adtrainingciht@gmail.com
14. ई.एफ.सी., एमएसएमई—प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (केंद्रीय फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान) सी-41 और 42, साइट 'सी' सिकदरा, औद्योगिक क्षेत्र, आगरा-282007. (यूपी) sudhanshusharma855@gmail.com
- 
10. ई.एफ.सी., एमएसएमई—प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (सेंट्रल फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान) 65/1 जी.एस. टी. रोड, गुंडी, चेन्नई-600032. kolanjivel@cftichennai.in
15. ई.एफ.सी., एमएसएमई—प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (ग्लास उद्योग विकास केंद्र), ए-1/1, औद्योगिक क्षेत्र, जलसर रोड, पी.ओ. मुइद्दीनपुर, फिरोजाबाद-283203. (यूपी) jpyadav.cdgi2018@gmail.com
- 
11. ई.एफ.सी., एमएसएमई—टूल रूम (सेंट्रल इस्टीमेट ऑफ टूल डिजाइन) ए-1 से ए-8 एपीआई, बालानगर हैदराबाद-500037. (तेलंगाना) dy.directortrg@citdindia.org
16. ई.एफ.सी., एमएसएमई—टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम और प्रशिक्षण केंद्र) बोनहुगली इंडस्ट्रियल कोलकाता-700108. (पश्चिम बंगाल) hk.choudhury@msmetoolroomkolkata.com

## प्रौद्योगिकी केंद्रों के ई.एफ.सी.

17. ई.एफ.सी., एमएसएमई—प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (इलेक्ट्रॉनिक्स सेवा और प्रशिक्षण केंद्र) कनिया, रामनगर, जिला—नैनिताल—244715. (उत्तराखंड)  
pd\_estc@estcindia.com
18. ई.एफ.सी., एमएसएमई—टूल रूम (टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर) अमिनगांव इंडस्ट्रियल एरिया, उत्तर गुवाहाटी रोड, अमिनगांव, गुवाहाटी—781031. (असम)  
trtcghy@hotmail.com

## पीपीडीसी, आगरा के ई.एफ.सी.

19. ई.एफ.सी., पीपीडीसी – एक्सटेंशन सेंटर, जयपुर, 17-18 ए, बाइस गोदाम इंडस्ट्रियल एस्टेट जयपुर-302006.  
deepakmnit175@gmail.com
20. ई.एफ.सी., पीपीडीसी—एक्सटेंशन सेंटर, तिरुवुल्ला, मार्फत एमएसएमई प्रशिक्षण संस्थान, मंझडी, पी.ओ., चांगचेरी, तिरुवुल्ला, केरल-689105.  
balaguru.msme@gmail.com
21. ई.एफ.सी., पीपीडीसी – एक्सटेंशन सेंटर, एट्टामनूर, मार्फत एमएसएमई टेस्टिंग स्टेशन, इंडस्ट्रियल एस्टेट, एट्टामनूर, केरल-686631.
22. ई.एफ.सी., एनआईटीटीई स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, गोविंदपुरा, गोलहल्ली, येलहंका, बेंगलुरु, कर्नाटक-56664.  
vijay.msnetdc@gmail.com
23. ई.एफ.सी., पीपीडीसी – एक्सटेंशन सेंटर, जोधपुर, प्लॉट नंबर ए1-ए3, उद्योग भवन, न्यू पावर हाउस रोड, औद्योगिक एस्टेट, जोधपुर-342003.  
deepakmnit175@gmail.com
24. ई.एफ.सी., पीपीडीसी, फाउंड्री नगर, आगरा-282006. यूपी  
rajkumar.msnetdc@gmail.com
25. ई.एफ.सी., एमएसएमई विकास संस्थान, इलाहाबाद, ई-17/18, औद्योगिक एस्टेट, नैनी, इलाहाबाद-211009.  
यू.पी.  
rajan.msnetdc@gmail.com
26. ई.एफ.सी., (यूपी) राज्य कमरा नं. 15 व 18, एक्सपो मार्ट, केसरबाग ऑफिसर्स कॉलोनी, केसरबाग, लखनऊ-226001.

## पीपीडीसी, आगरा के ई.एफ.सी.

27. ई.एफ.सी., पीपीडीसी – एक्सटेंशन सेंटर, मदुरै, मार्फत एमएसएमई स्किल ट्रेनिंग सेंटर, सिडको इंडस्ट्रियल इस्टेट, मेलुर रोड, के. पुदुर, मदुरै-625007. jayachandiran@gmail.com
31. ई.एफ.सी., संस्कृति यूनिवर्सिटी, 28, के. एम. स्टोन मथुरा, चेन्नई-दिल्ली हाइवे, छाता रुरल, (यूपी)-281401. rajkumar.msnetdc@gmail.com

28. ई.एफ.सी., पीपीडीसी – एक्सटेंशन सेंटर, कोल्हापुर, मार्फत एमएसएमई टेस्टिंग स्टेशन, पी-31, एमआई.डी.सी., शिरोली, औद्योगिक क्षेत्र, कोल्हापुर prateekmsme@gmail.com
32. ई.एफ.सी., पीपीडीसी-एक्सटेंशन सेंटर, 340/342 कोइंडिया कॉम्प्लेक्स, अवरामपालयम रोड, के. आर. पुरम, कोयंबटूर-641006. (तमिलनाडु) vijay.msnetdc@gmail.com

29. ई.एफ.सी., पीपीडीसी-एक्सटेंशन सेंटर, कोटा, प्लॉट नंबर ए1-ए2, डी.सी.एम. रोड, औद्योगिक एस्टेट, कोटा-324007. deepakmnit175@gmail.com
33. ई.एफ.सी., एमएसएमई विकास संस्थान, 65/1, जी.एस.टी. रोड, गिंडी, पी.बी. 3746, चेन्नई-600032. (तमिलनाडु) jayachandiran@gmail.com

30. ई.एफ.सी., पीपीडीसी-एक्सटेंशन सेंटर, उदयपुर, प्लॉट नंबर ए1-ए2, इंडस्ट्रियल एस्टेट, प्रताप नगर, उदयपुर-313003. deepakmnit175@gmail.com